

एफ.सं. 5(1)/2018-एमजीएमटी

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) के शीर्ष प्रबंधन पदाधिकारियों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) लिखने के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाना।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को संदर्भित करने और यह बताने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसईज़ के शीर्ष प्रबंधन पदाधिकारियों के एपीएआर लिखने की समय सीमा को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है: -

गतिविधि	संशोधित अंतिम तिथि
रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	1 फरवरी, 2023
समीक्षा प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	15 फरवरी, 2023
स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	28 फरवरी, 2023

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त रियायत पर ध्यान दें और इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करें।



(क्रांति कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष: 24367792

सेवा में,

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी सीपीएसईज़ के सीएमडी/एमडी
2. एनआईसी, डीपीई - डीपीई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
3. एनआईसी-स्पैरो टीम- सीपीएसई-स्पैरो प्रणाली में उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करने के अनुरोध के साथ।